





	[कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
	अथवा
18	-";

(ग) कॉलम (3) में, मद (v) के समक्ष कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक "12" के स्थान पर, अंक "18" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
(vi) माल का 'बहु साधन द्वारा परिवहन' (मल्टीमोडल), जहां माल की उठाने के स्थान से माल की डिलीवरी के स्थान तक परिवहन के कम से कम दो अलग-अलग परिवहन के साधन के प्रकार का उपयोग 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' द्वारा किया जाता है, जैसे;		
(क) वायुमार्ग के बजाए किन्ही अन्य परिवहन माध्यमों द्वारा माल का परिवहन।	5	बशर्ते कि सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त मालं और सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट, माल के परिवहन की इनपुट सेवाओं (अर्थात् अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त माल के परिवहन की सेवाएं) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त नहीं लिया गया है।

और बशर्ते कि जहां बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर को माल के परिवहन की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता, 5% से अधिक दर पर एकीकृत कर वसूलता है, वहां माल परिवहन की ऐसी इनपुट सेवाओं पर 5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

परन्तु यह भी कि इस मद में शामिल कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।

उदाहरण: 'ए' एक बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर, 'बी' को नई दिल्ली से गया तक माल के माल परिवहन के लिए एक से अधिक साधनों का उपयोग करता है। उक्त सेवा प्रदान करने के लिए 'बी' एक जीटीए यानी (माल परिवहन एजेंसी) 'सी' को 600 रुपये में नियुक्त करता है, जो 18% की दर से कएकीकृत कर वसूलता है। 'बी' अपनी सेवाओं की आपूर्ति के लिए







		(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरों के संबंध में किए गए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं;	1.5	
		(ii) निम्नलिखित के संबंध में जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं		
“26	शीर्ष 9988 (अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएँ)	(क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 1 से 22 के अंतर्गत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद;  (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 23 के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद, उक्त अनुसूची के अध्याय 2309 के अंतर्गत आने वाले कुते और बिल्ली के भोजन की सामग्री को छोड़कर;  (ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाले सामान;  (घ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 41 के अंतर्गत आने वाले खाल, त्वचा और चर्म उत्पाद; बशर्ते कि खंड (घ) में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम	5	- ”;



	(अ) हस्तशिल्प वस्तुएं;	
	(ट) छाता।	
	(iii) मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा के निर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ;	18
	(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के बजाए जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएँ।	18
	(v) किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं, निम्नलिखित के संबंध में-	
	(क) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का मुद्रण;	5
	(ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिन पर 5% या शून्य की दर से एकीकृत कर लगता है।	
	(vi) कपड़ा-सिलाई (टेलरिंग) सेवाएँ।	5
	(vii) उपरोक्त (v) और (vi) के बजाए, किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार (ट्रीटमेंट) या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ।	18

(xi) क्रम संख्या 32 के समक्ष , कॉलम (3) में,-

- (क) मद (i) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ख) मद (iक) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (xii) क्रम संख्या 34 के समक्ष , कॉलम (3) में,-
- (क) मद (ii) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "5" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (ख) मद (iiiक) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
 "स्पष्टीकरण: इस मद के खंड (ख) में निहित कोई भी बात 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' पर लागू नहीं होगी।";
- (ग) मद (iiiक) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "40" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (घ) मद (iv) के समक्ष , कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "40" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (xiii) क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35	शीर्ष 9997	(i) समूह 99972 के अंतर्गत आने वाली सौंदर्य एवं शारीरिक कल्याण सेवाएं।	5	बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल और सेवाओं पर लगाए गए

			इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
	(ii) अन्य सेवाएँ (धुलाइ, सफाई और रंगाई सेवाएँ; तथा अन्य विविध सेवाएँ, जिनमें अन्यत्र वर्गीकृत सेवाएँ भी शामिल हैं)।  स्पष्टीकरण:-  संदेह दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) में मद (i) के अंतर्गत आने वाली आपूर्तियों पर कॉलम (5) में उनके समक्ष निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, कॉलम (4) में उनके समक्ष निर्धारित एकीकृत कर लगाया जाएगा, जो एक अनिवार्य दर है और इस मद के अंतर्गत निर्दिष्ट दर नहीं लगाई जाएगी।	18	-";

(xiv) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि को अधिसूचना संख्या 9/2025- एकीकृत कर (दर) तारीख

17 सितंबर, 2025 की अनुसूची I के क्रम संख्या 437 के साथ पढ़ा जाएगा।



(क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके तहत वह किराये के एवज में बहुप्रकार के साधनों द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;

(ख) प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी कंसाइनर, या कंसाइनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो।"

(2) उक्त अधिसूचना में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, पैरा 5 में, खंड (xxxvi) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण 1.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'परिसर' का अर्थ एक ऐसा स्थान है जहां से होटल आवास सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है या आपूर्ति की जानी है।

स्पष्टीकरण 2.- उप-खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति 'पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति' में व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान की घोषणा करने के लिए पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति शामिल होगा।

[फा.सं.190341/188/2025-TRU]

(मो. आदिल अशरफ)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 8/2017 - एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 05/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा किया गया

था, जिसे भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 39(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित किया गया था।